रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2009/भाद्र 17, 1931

No. 507] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2009/BHADRA 17, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 648(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3(i) में दिनांक 20 जुलाई, 2009 की संख्या सा.का.नि. 536(अ) द्वारा भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की प्रकाशित अधिसूचना में पैरा 9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :

"चीनी कारखाने ऋण के संवितरण के 90 दिनों की अवधि के भीतर, नकद या वस्तु रूप में, ऋण गन्ना किसानों को देंगे, ऐसा न कर पाने की स्थिति में चीनी कारखाने उक्त अवधि से अधिक देरी की अवधि के लिए शेष राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेंगे।"

[फा. सं. 1-5/2009-एस.डी.एफ.]

एन. सान्याल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम दिनांक 28-9-1983 के सं. सा.का.नि. 752(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा उसमें निम्नलिखित सा.का.नि. के तहत उत्तरोत्तर संशोधन किए गए :—

(i) सा.का.नि. 817(अ), दिनांक 20-12-1984;
(ii) सा.का.नि. 838(अ), दिनांक 14-11-1985;
(iii) सा.का.नि. 551(अ), दिनांक 6-5-1986;
(iv) सा.का.नि. 235(अ), दिनांक 24-4-1991;
(v) सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 28-4-1992;
(vi) सा.का.नि. 435(अ), दिनांक 6-5-1994;
(vii) सा.का.नि. 27(अ), दिनांक 12-1-1996;
(viii) सा.का.नि. 656(अ), दिनांक 21-11-1997;
(ix) सा.का.नि. 91(अ), दिनांक 12-2-2001;
(x) सा.का.नि. 886(अ), दिनांक 6-12-2001;
(xi) सा.का.नि. 443(अ), दिनांक 21-6-2002;
(xii) सा.का.नि. 584(अ), दिनांक 19-8-2002;
(xiii) सा.का.नि. 67(अ), दिनांक 29-1-2003;
(xiv) सा.का.नि. 241(अ), दिनांक 25-3-2003;
(xv) सा.का.नि. 787(अ), दिनांक 6-10-2003;
(xvi) सा.का.नि. 895(अ), दिनांक 19-11-2003;
(xvii) सा.का.नि. 953(अ), दिनांक 17-12-2003;
(xviii) सा.का.नि. 72(अ), दिनांक 23-1-2004;
(xix) सा.का.नि. 687(अ), दिनांक 21-10-2004;
(xx) सा.का.नि. 739(अ), दिनांक 9-11-2004;
(xxi) सा.का.नि. 149(अ), दिनांक 2-3-2005;
(xxii) सा.का.नि. 451(अ), दिनांक 4-7-2005;
(xxiii) सा.का.नि. 558(अ), दिनांक 15-9-2006;
(xxiv) सा.का.नि. 118(अ), दिनांक 9-3-2007;
(xxv) सा.का.नि. 697(अ), दिनांक 7-11-2007;
(xxvi) सा.का.नि. 699(अ), दिनांक 8-11-2007;
(xxvii) सा.का.नि. 738(अ), दिनांक 29-11-2007;
(xxviii) सा.का.नि. 749(अ), दिनांक 5-12-2007;
(xxix) सा.का.नि. 115(अ), दिनांक 28-2-2008;
(xxx) सा.का.नि. 279(अ), दिनांक 10-4-2008;
(xxxi) सा.का.नि. 388(अ), दिनांक 19-5-2008;
(xxxii) सा.का.नि. 508(अ), दिनांक 7-7-2009;
(xxxiii) सा.का.नि. 535(अ), दिनांक 20-7-2009;
(xxxiv) सा.का.नि. 536(अ), दिनांक 20-7-2009.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2009

G.S.R. 648(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3(i) dated 20th July, 2009, vide No. G.S.R. 536(E), para 9 may be substituted as under :—

"The sugar factory shall pass on the loan to the sugarcane growers, in cash or kind, within a period of ninety days of disbursement of the loan, failing which the sugar factory shall pay a penal interest of six per cent per annum on the balance amount for the period of delay beyond the said period."

[F. No. 1-5/2009-SDF]

N. SANYAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 752(E) dated 28-9-1983 and subsequently amended *vide* :—

(i) G.S.R. 817 (E) dated 20-12-1984;
(ii) G.S.R. 838 (E) dated 14-11-1985;
(iii) G.S.R. 551 (E) dated 6-5-1986;
(iv) G.S.R. 235 (E) dated 24-4-1991;
(v) G.S.R. 441 (E) dated 28-4-1992;
(vi) G.S.R. 435 (E) dated 6-5-1994;
(vii) G.S.R. 27 (E) dated 12-1-1996;
(viii) G.S.R. 656 (E) dated 21-11-1997;
(ix) G.S.R. 91 (E) dated 12-2-2001;
(x) G.S.R. 886 (E) dated 6-12-2001;
(xi) G.S.R. 443 (E) dated 21-6-2002;
(xii) G.S.R. 584 (E) dated 19-8-2002;
(xiii) G.S.R. 67 (E) dated 29-1-2003;
(xiv) G.S.R. 241 (E) dated 25-3-2003;
(xv) G.S.R. 787 (E) dated 6-10-2003;
(xvi) G.S.R. 895 (E) dated 19-11-2003;
(xvii) G.S.R. 953 (E) dated 17-12-2003;
(xviii) G.S.R. 72 (E) dated 23-1-2004;
(xix) G.S.R. 687 (E) dated 21-10-2004;
(xx) G.S.R. 739 (E) dated 9-11-2004;
(xxi) G.S.R. 149 (E) dated 2-3-2005;
(xxii) G.S.R. 451 (E) dated 4-7-2005;
(xxiii) G.S.R. 558 (E) dated 15-9-2006;
(xxiv) G.S.R. 118 (E) dated 9-3-2007;
(xxv) G.S.R. 697 (E) dated 7-11-2007;
(xxvi) G.S.R. 699 (E) dated 8-11-2007;
(xxvii) G.S.R. 738 (E) dated 29-11-2007;
(xxviii) G.S.R. 749 (E) dated 5-12-2007;
(xxix) G.S.R. 115 (E) dated 28-2-2008;
(xxx) G.S.R. 279 (E) dated 10-4-2008;
(xxxi) G.S.R. 388 (E) dated 19-5-2008;
(xxxii) G.S.R. 508 (E) dated 7-7-2009;
(xxxiii) G.S.R. 535 (E) dated 20-7-2009;
(xxxiv) G.S.R. 536 (E) dated 20-7-2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.